रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 490] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 25, 2002/कार्तिक 3, 1924
No. 490] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2002/KARTIKA 3, 1924

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2002

सा.का.नि. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (गक) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भा. दू. वि. प्रा. कर्मचारी वर्ग (वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें) विनियम , 1999 और टी.आर.ए.आई. (अनियत मजदूरों की नियुक्ति) विनियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में जब कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

   (क) 'अधिनियम' से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है ;

   (ख) 'प्राधिकरण' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी' से प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों से प्राधिकरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारी और कर्मचारी भी हैं ;

(घ) 'नैमित्तिक कर्मचारी' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा आंतरायिक या छिटपुट या कम अवधि के कार्यों के लिए रखा गया हो ;

(ङ) 'परामर्शी' से अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त परामर्शी अभिप्रेत है ;

(च) 'अनुसूची' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(छ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदिष्ट हैं ।

3. **प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रवर्ग और वेतनमान** :- प्राधिकारण के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग और उनके वेतनमान अनुसूची (1) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे ।

4. **सेवा की शर्तें** -(1) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों, जिसके अंतर्गत नैमित्तिक कर्मचारी और किसी अन्य प्रवर्ग के कर्मचारी भी हैं, की सेवा की शर्तें वेतन, सभी भत्ते, छुट्टी, कार्यग्रहण- काल, कार्यग्रहण- काल वेतन, अधिवर्षिता की आयु और सेवा की अन्य शर्तों के विषय ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के, यथास्थिति, समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' और तत्स्थानी वेतनमान वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर लागू होते हैं :

परंतु यह है कि-

(क) प्राधिकरण के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिन्हें साधारण पूल के अधीन निवास स्थान आवंटित किए गए हैं समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, संपदा निदेशालय, कार्यालय ज्ञापन स0 11013/डी/7/94-पूल.IV/I तारीख 26.4.1999 के अनुसार सरकारी निवास स्थान की सुविधा को प्रतिधारित करने के लिए पात्र होंगे ; और यदि सरकारी निवास स्थान आवंटित नहीं किया गया है या यह सुविधा प्राप्त नहीं है, वे समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी सेवकों के समतुल्य मकान किराया भत्ते के लिए पात्र होंगे । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी समतुल्य वेतन पाने वाले

केन्द्रीय सरकारी सेवकों को लागू मकान किराया भत्ता के समतुल्य मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे ।

(ख) प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे ।

(ग) (i) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि में अभिदाय करने के हकदार होंगे और समय-समय पर प्राधिकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए अभिदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा विनियमित होंगे :

परंतु यह कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे ;

(ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की दशा में, वे ऐसी भविष्य निधि स्कीम द्वारा शासित किए जाते रहेंगे जो उनके मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन में उनके लिए लागू हैं । प्राधिकरण ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों से भविष्य निधि के लिए अभिदाय वसूल करेगी और उस राशि को तुरंत उधारदाता मंत्रालय/विभाग/संगठन को भेजेगी । देर से भेजने के कारण हुई ब्याज की किसी हानि को प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा ।

(घ) शासकीय विदेशी दौरे के समय प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अनुसूची -3 में यथा विनिर्दिष्ट भत्तों के हकदार होंगे ।

(ङ) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी उपदान अधिनियम, 1976 के अनुसार उपदान के संदाय के लिए पात्र होंगे ।

(च) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाली स्कीम के अनुसार सामूहिक बीमा के हकदार होंगे ।

(छ) केन्द्रीय सरकार से भिन्न संगठन से प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी उस पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हों, के लिए पात्र होंगे जो उन्हें उनके मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन में उपलब्ध हैं :

परंतु यह कि प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों से भिन्न अधिकारी और कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें :- नैमेत्तिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विनियमित होंगी ।

5. **परामर्शी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें :-**

(1) प्राधिकरण निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर परामर्शी को नियुक्त करेगी, अर्थात्:-

(i) परामर्शी को प्राधिकरण के स्थापन के कर्मचारिवृन्द का नियमित सदस्य नहीं समझा जाएगा ;

(ii) परामर्शी एक वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा जो वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाई जा सकेगी । उनकी नियुक्ति की कालावधि प्राधिकरण द्वारा एक मास की सूचना देकर समाप्त की जा सकेगी ।

(2) जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित न हो, परामर्शी निम्नलिखित के लिए हकदार होगा,-

(i) 1 रुपया प्रतिमास मानदेय ; कोई अन्य वेतन या भत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(ii) निवास से प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय तक और वापसी के लिए तथा प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किसी कर्तव्य निष्पादन के दौरान भी परिवहन ।

(iii) टेलीफोन सुविधा ।

(iv) जब प्राधिकरण के मुख्यालय के बाहर कर्तव्य के निष्पादन की अपेक्षा की जाए तब यात्रा हकदारी, यात्रा का वर्ग और अनुज्ञेय भत्ते इन नियमों के नियम 4 में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे । हकदारी अनुसूची-1 में वर्णित कर्मचारिवृन्द के किसी प्रवर्ग के अधिकारी को अनुज्ञेय के समतुल्य होगी, जैसा प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जा सकेगा किन्तु 22,400-24,500 रुपए (पूर्व पुनरीक्षित 7,300-7,600 रुपए) के वेतनमान में किसी अधिकारी की यात्रा हकदारी से अधिक नहीं होगी ।

(3) परामर्शी भी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परामर्शियों के नियोजन के लिए मार्गदर्शनों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिधारणता के आधार पर सभी सम्मिलित करते हुए एकमुश्त राशि पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**-केन्द्रीय सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी ।

अनुसूची-1

(नियम 3 देखिए)

क्र.सं.	पद का वर्ग	वेतनमान(रु.)
(1)	(2)	(3)
1	सचिव	22400-525-24500
2	प्रधान सलाहकार	22400-525-24500
3	सलाहकार	18400-500-22400
4	संयुक्त सलाहकार	14300-450-18300
5	उप सलाहकार	12000-375-16500
6	ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव	12000-375-16500
7	ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी	10000-325-15200
8	प्रधान निजी सचिव	10000-325-15200
9	तकनीकी अधिकारी	8000-275-13500
10	अनुभाग अधिकारी	6500-200-10500
11	सहायक लेखा अधिकारी	6500-200-10500
12	पुस्तकालयाध्यक्ष	6500-200-10500
13	निजी सचिव	6500-200-10500
14	सहायक	5500-175-9000
15	निजी सहायक	5500-175-9000
16	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	5500-175-9000
17	आशुलिपिक श्रेणी—घ	4000-100-6000
18	अवर श्रेणी लिपिक	3050-75-4590
19	ड्राईवर श्रेणी-I	4000-100-6000
20	ड्राईवर श्रेणी- II	3050-75-4590
21	समूह 'घ' (परिचारक)	2550-55-3200